Pradhans have also started pressuring ONGC for various demands;

(d) if so, the demands made by the Village Pradhans; and

(c) whether there is any likelihood of resumption of normal operations by ONGC in the near future in these States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) The operations of ONGC have suffered in Nagaland and Tripura on account of insurgency and law and order related problems. As per the directive of the State Government of Nagaland, the crude oil production in Champang field stands suspended since May, 1994. The Oil and Natural Gas Corporation Ltd. has not been in a position to operate in Baramura area in Tripura since September, 1994. However, the operations in Assam have not been seriously affected.

(b) ONGC has been spending about Rs. 4.75 crorc per annum on security of its installations and personnel in Tripura. Also, they have not been able to carry out exploratory drilling in Baramura area which has good potential for enhancing gas reserves.

On account of suspension of oil production in Nagaland, ONGC has been incurring an estimated loss of 0.1 MMT of oil per annum since 1994.

(c) and (d) The Village Pradhans have j been demanding for compensation in ' respect of drilling site, KIIAII & KGP-1 falling in the nutral zone of Assam —Nagaland Border and for construction of roads, bridges etc.

(c) So far there has been no indication from the Nagaland State Government that ONGC would be in a position to resume operations immediately. As and when the situation improves further, ONGC expects to resume its normal operations in the Baramura area of Tripura.

केलकर समिति की सिफारिशें

405. **श्री गोपालसिंह जी सोलंकी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के क्षेत्र का विकास करने और इस संबंध में नए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए गठित की गई "केलकर समिति" की सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रत्येक सिफारिश, विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित की जा रही प्राकृतिक गैस परियोजनाओं से संबंधित सिफारिश पर सरकार द्वारा लिये गए निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी आर. बालू); (क) और (ख) प्राकृतिक गैस के मूल्यों में संशोधन संस्तुत करने के समिति उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 1989 में केलकर समिति का गठन किया गया था। समिति ने वर्ष 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तथा इस समिति की सिफारिशें 01 जनवरी, 1992 से 31 दिसम्बर, 1995 तक क्रियान्वित की गई है जोकि संस्तुत मूल्य निर्धारण अवधि की मियाद थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परियोजनाओं की निर्माण लागत में वृद्धि

406. **श्री राम जेठमलानी:** क्या पोट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1997 में देश के विभिन्न भागों में अनेक परियोजनाएं निर्माणाधीन थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच हा कि परियोजनाओं का देरी से निर्माण शुरु करने के कारण अनेक परियोजनाओं की निर्माण लागत में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है और उनकी मूल लागत की तुलना में निर्माण लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ङ) क्या इस बढ़ी हुई लागत के कारणों के संबंध में सूचना एकत्र की गई है; और

(च) यदि हां, तो किन किन परियोजनाओं की निर्माण लागत में वृद्धि हुई तथा परियोजना वार उनके कारण क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) जी हां।

(ख) सितम्बर, 1997 की स्थिति के अनुसार ऐसी कुल 30 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है, जिनके लिए सरकारी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(ग) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सा. क्षे. उ. का नाम	मूल/अनुमोदित लागत	समय में वृद्धि के कारण प्रत्याशित लागत	समय में वृद्धि के कारण
1.	गांधर क्षेत्र विकास चरण-II	आयल एण्ड नेचुरल गैस कोरपोरेशन लि.	1245.62	1454य75	संविदाकारों/विक्रेताओं द्वारा धीमे काम किया जाना।
2.	कांडाला-भटिंडा उत्पाद पाइपलाइन	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.	*2081.84	208184	डिजाइन और विस्तृत इंजीनियरिंग, सामग्रियों की प्राप्ति, पाइपलाइन और स्टेशनों को जुटाने और इनके निर्माण, क्षैतिज, दिशात्मक वेधन के निष्पादन, दूर-संचार दूरपर्यवेक्षणीय और इंस्टुमेंटेशन कार्यों ौर संविदाकार व उसके उप-संविदकारों के बीच विवाद के कारण विलंव।
3.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी परियोजना	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	1830	2497	नई कंपनी का विलंब से गठन, परियोजना की मूलभूत सुविधाओं और परियोजना के ढांचे में आरंभिक विलंब, भूमि का देरी से कब्जा मिलना, विदेशी लाइसेंसरों के चयन में विलंब, प्रसिद्ध मुख्य संविदाकारों से उत्साहहीन प्रतिक्रिया और आरंभिक वित्तीय कठिनाइयां।

*यह सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधिक लागत है। मूल लागत 779.55 करोड़ रुपए है।